न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 307 / 2016 / 223 (00307 / 2016 / 223)

1. आसिया पत्नी मोहम्मद शरीफ, जाति मुसलमान, निवासी गेगल, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अब्दुल गफ़्फूर पुत्र मोहम्मद शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी किशनगढ़ हाल आबाद गांव गेगल, तह0 व जिला अजमेर ।
2. जमीला पत्नी गफ़्फूर शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी गेगल, तह0 व जिला अजमेर ।
3. श्रीमती जुबेदा पत्नी कमरूद्दीन, जाति फकीर मुसलमान, निवासी प्रेम—नगर, फॉयसागर रोड, अजमेर ।
4. अब्दुल जब्बार पुत्र चांद शाह,
5. हसन अली पुत्र चांदशाह,
6. मुमताज पुत्र चांद शाह,
   समस्त जाति फकीर मुसलमान, निवासी गेगल, तह0 व जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशिक्षण), अजमेर दिनांक 22.5.2009 अंतर्गत वाद संख्या 3 / 2006.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांट ।
2. श्री गजेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 22.3.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशिक्षण), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण / रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर कथन किया कि ग्राम गेगल में खाता संख्या 91 के खसरा संख्या 691 रबा 12 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार छोटूशाह व चांदशाह पुत्रान सुबराती शाह फकीर मुसलमान ब0हि0ब0काश्तकार थे । छोटूशाह का देहांत दिनांक 21.8.1987

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

को ग्राम गेगल में हो चुका है । वादी का कथन है कि छोटूशाह ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पति की अपनी पत्नि बशीरन की रजामंदी से वादी अब्दुल गफूर के पक्ष में दिनांक 19.7.1987 को रूबरू गवाहान निष्पादित कर दी थी व इस वसीयतनामे के तहत 6 बीघा कृषि भूमि व छोटूशाह के मकान व बाड़े आदि का हकदार व मालिक वादी हुआ किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज तौर पर छोटूशाह की मृत्यु के उपरांत खसरा नंबर 691 की भूमि का 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी का उक्त आराजी न तो कोई हक है एव ना ही कोई कब्जा रहा है क्योंकि वह हमेशा से अजमेर में फॉयसागर में निवास कर रही है । वादी ने कथन किया कि पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 1 ने एक वाद सन् 1989 में वादीगण के विरूद्ध सहायक जिलाधीश, अजमेर के समक्ष बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसका जवाब वादीगण ने पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 के दावे से इंकार कर वसीयत के आधार पर इसी विवादित भूमि को अपना होना क्लेम किया था । प्रतिवादी संख्या 1 जुबेदा द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 36/1989 जुबेदा की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जा चुका है । उक्त वाद निरस्त होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कोई हक व हिस्सा शेष नही है । अतः वादीगण का आराजी मुतनाजा पर गत् पन्द्रह वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है इस कारण भी वादीगण को मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अपीलांट ने वादवर्णित आराजी श्रीमती जुबेदा पत्नी कमरूद्दीन से दिनांक 26.12.2006 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से 1/4 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया लिया था तब से लेकर आज दिन तक अपीलांट ही काबिज काश्त है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है क्योकि प्रार्थिया आराजी पर बरवक्त क्रय से काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से प्रार्थिया पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थ इस कारण अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक को जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.10.2010 को तब हुई जब अप्रार्थिया ने प्रार्थिया को यह बताया कि अब ये खेत तुम्हारा नहीं हमारा है, कब्जा छोड़ दो, कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला काफी समय पूर्व ही हो गया है । इस पर प्रार्थीया ने घर आकर अपने परिजनों को बात बताई तथा दिनांक 11.10.2010 को अजमेर आकर पता किया उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थिया ने उसी दिन आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 13.10.2010 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति पेश कर कथन किया कि अपीलांट परीक्षण न्यायलाय में मूल वाद मे पक्षकार नहीं थी । अपीलांट ने प्रकरण में लिप्त आराजी जो रेस्पो0 संख्या 2 जुबैदा के 1/4 हिस्से में गलत दर्ज थी, को दौराने वाद दिनांक 23.12.2006 को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

क्रय की है । विक्रय किये जाने की दिनांक को परीक्षण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर अपने आदेश दिनाक 1.4.2006 द्वारा जुबैदा का विवादित आराजी को बेचान आदि नहीं किये जाने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया हुआ था । विवादित आराजी बाबत् वाद विचाराधीन होते हुए एवं स्थगन आदेश दिनांक 4.1.2006 होते हुए भूमि अपीलांट द्वारा क्रय की है जो धारा 52 टी0पी0 एक्ट का स्पष्ट उल्लघंन है । ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट को विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । उक्त विक्रय पत्र प्रारंभ से शून्य है । मूल प्रतिवादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष कोई अपील पेश नहीं की है । ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है न ही उक्त अपील उपरोक्त प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय के संधारण योग्य है जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपना न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 141, आर0आर0डी0 2012 पेज 69, आर0आर0डी0 1994 पेज 710, आर0आर0डी0 1985 पेज 584, आर0आर0डी0 1989 पेज 292, 224 एवं आर0आर0डी0 1983 पेज 232 में सिद्धांत प्रतिपादित किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना के जवाब में कथन किया कि अपीलांट ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है इसलिये वह पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पार ध्यान नहीं दिया कि स्व0 गफूर शाह द्वारा की जाने वाली तथाकथित वसीयत के संबंध में जो स्टाम्प पेपर खरीद किया गया है जिस पर उन्होंने अपनी तथाकथित वसीयत करना अंकित किया है वह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उक्त स्टाम्प पेपर कब खरीद किया गया और कहां से खरीद किया गया । अर्थात् उक्त स्टाम्प पेपर के पुस्त पर लगने वाली सील भी नहीं है जिससे यह माना जा सके कि यह स्टाम्प पेपर कब और कहां से खरीदा गया, इस कारण प्रथमतः यह देखने पर संदेहास्पद प्रतीत होता है इस कारण उक्त पेपर पर की गई लिखावट सही नहीं मानी जा सकती है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने गलत तौर पर उक्त तथाकथित वसीयतनामे को आधार बनाकर रेस्पे0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री करने में भारी भूल की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि कानूनन मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी संपूर्ण आराजी अथवा मिल्कियत की वसीयत नहीं कर सकता है क्योंकि मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी खातेदार या सम्पति रखने वाला व्यक्ति अपनी कुल सम्पति के 1/3 हिस्से से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता है किन्तु इस प्रकरण में स्व0 छोटू शाह द्वारा की जाने वाली वसीयत 6 बीघा एवं कच्चा मकान, बाड़ा इत्यादि की वसीयत अब्दुल गफूर शाह के नाम करना अंकित किया है जो विधि प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । दोनों पक्षकार मुस्लिम एवं सुन्नी सम्प्रदाय से ताल्लुक रखते है इस कारण इन पर इनका व्यक्तिगत कानून लागू होगा और

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उसके आधार पर उक्त तथाकथित वसीयत को लागू नहीं किया जा सकता है । इस कारण भी अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 का निर्णय बिना किसी समुचित साक्ष्य के मात्र वसीयतनामे के आधार पर ही पारित किया है जिसका सही एवं सत्य होने का विधि अनुसार कोई औचित्य नहीं है तथा तनकी संख्या 3 जो मुखालफाने कब्जे के आधार पर थी को भी वादीगण के पक्ष में सिद्ध किया है जबकि तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 एक दूसरे के विरोधाभाषी है, एक तरफ तो वादी अपना हक सहमति के आधार पर वसीयत के अनुसार मांगता है वहीं दूसरी तरफ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इस्तदुआ चाहता है जो सरासर कानून में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि श्रीमती जुबेदा द्वारा पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया था । गांव के व्यक्तियों द्वारा समझाईश करने के पश्चात् जुबेदा को उसके आराजी पर मौखिक बंटवारा करते हुए उसके हिस्से पर काबिज करवा दिया था इस कारण वह दावे में उपस्थित नहीं होने के कारण उसका दावा पूर्व में अदम हाजरी में खारिज हो गया था जिसके आधार पर किसी भी प्रकार के अधिकार रेस्पो0 संख्या 1/वादी को नहीं मिल सकता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद डिक्री करने में भारी भूल की है । चूंकि तनकी संख्या 4 अन्य प्रतिवादीगण का आधा हिस्सा होने बाबत् थी जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने से निर्णित की गई है एवं तनकी संख्या 2 का निर्णय भी वादी के पक्ष में तनकी संख्या 1 व 3 को आधार बनातके हुए किया गया है जो गलत आधारों पर किया गया है । अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी में से श्रीमती जुबेदा पत्नी कमरूद्दीन से दिनांक 26.12.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1/4 हिस्सा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलांट काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना से अपीलांट के हक प्रभावित हो रहे है इसलिये अपीलांट माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में मुस्लिम लॉ 139, सेक्शन 40 काश्तकारी अधि0 पेज 103, आर0बी0जे0 2011 पेज 388, आर0बी0जे0 2017 पेज 625, आर0बी0जे0 2020 पेज 517, आर0बी0जे0 2004 पेज 286, आर0बी0जे0 2005 पेज 502, आर0बी0जे0 2002 पेज 191, आर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0बी0जे0 2008 पेज 406 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

9. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । ग्राम गेगल के खाता संख्या 94 के खसरा संख्या 691 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के खातेदार छोटूशाह व चांदशाह पुत्र सुबराती शाह फकीर मुसलमान थे । छोटेशाह का देहांत दिनांक 21.8.1987 को हो चुका है । छोटूशाह ने अपने जीवनकाल में अपने सम्पति की वसीयत अपनी पत्नि बशीरन की जमाबंदी से वादी अब्दुल गफूर के पक्ष में दिनांक 19.7.1987 को रूबरू गवाहान के निष्पादित की थी । इस वसीयतनामे के तहत 6 बीघा भूमि व छोटूशाह के मकान व बाड़े आदि का हकदार व मालिक वादी हुआ है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज तौर पर छोटूशाह की मृत्यु उपरांत खसरा नंबर 691 की भूमि का 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। यह भी कथन किया कि वसीयतनामे को पंजीबद्ध कराना आवश्यक नहीं है। जबकि विवादित आरायिजात से प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्व में अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश किया था जो अदम हाजरी में खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हो चुका है । उक्त वाद के निरस्त होने से विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है । वादीगण विवादित आराजी पर 15 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज है जिससे वादीगण को मुखालफाना कब्जा के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । वसीयतनामा को फर्जी या गलत मानने का कोई आधार नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 ने वसीयतनामे को सही होना बताया है । अपीलांट वसीयतनामे को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है । अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है। विद्वान अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को विधिसम्मत् रूप से गुणावगुण पर निर्णित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 141, आर0आर0डी0 2012 पेज 69, ए0आई0आर0 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 1332, आर0एल0डब्ल्यू0 1991 (2) पेज 121, आर0बी0जे0 1996 पेज 569, आर0आर0डी0 1984 पेज 391, आर0बी0जे0 1997 पेज 308, डी0एन0जे0 2002 (1) पेज 83, आर0आर0डी0 2002 पेज 280 एवं आर0एल0डब्ल्यू0 2006 (1) पेज 218 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

10. हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0, धारा 5 मियाद अधि0 एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत् आपत्ति का निस्तारण करना उचित समझते है ।

11. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया । विक्रय पत्र अनुसार अपीलांट ने विवादित आराजी मौजा गेगल के खाता संख्या नया 91 पुराना 91 खसरा संख्या 691 रकबा 12–05–10 बा.2 का 1/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2006 को खातेदार जुबेदा पुत्र छोटू शाह से क्रय से की है। वादी/रेस्पो अब्दुल गफूर द्वारा सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 2/2006 बउनवान अब्दुल गफूर बनाम श्रीमती जुबैदा अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया था जिसमें अधी0न्याया0 ने दिनांक आदेश दिनांक 4.1.2006 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके ऐजेन्टस आदि को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक इस कदर पाबंद किया कि वे विवादित आराजी खसरा नंबर 691 के आधे भाग को किसी अन्य को बेचान आदि नहीं करे ।

12. अधी0न्याया0 की उपरोक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती जुबैदा को अधी0न्याया0 में वाद एवं प्रकरण के विचाराधीन होने की जानकारी हो चुकी थी इसके बावजूद श्रीमती जुबैदा ने विवादित आराजी का बैचान वाद के विचाराधीन रहते तथा अधी0न्याया0 द्वारा विवादित आराजी के संबंध में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4.1.2006 के प्रभावी रहते अपीलांट को विक्रय किया है जिससे अपीलांट को विवादित भूमि के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री से व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 141 का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:– " Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec 224-Trial Court decreed the suit-Appellant purchased the land pending suit-RAA dismissed the appeal holding that the appellant is not an aggrieved person and the sale is void ab-initio-Appellants cannot be treated as an

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

aggrieved person-Held, No error in the order of rejecting appeal. " इसी प्रकार आर0आर0डी0 2012 पेज पेज 69 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वाद के विचाराधीन रहते तथा स्थगन आदेश के प्रभावी रहते किया गया विक्रय ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1982 की धारा 52 का उल्लघंन होने से ऐसा विक्रय प्रभावशून्य होता है । हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजियात के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष वाद विचारधीन होने तथा अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 4.1.2006 द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते हुए रेस्पो0 संख्या 3 श्रीमती जुबैदा द्वारा अपीलांट के पक्ष में विवादित आराजियात बाबत् निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2006 ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1982 की धारा 52 का उल्लघंन होने से ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट को पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है । इसलिये अपीलांट को विवादित आराजी के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 से पीड़ित एवं व्यथित होना भी नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।

13. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धार 96 जा0दी0 निरस्त किया जाता है तथा अपील इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 22.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर